



केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

फेज-1, 9वीं मंजिल, फिल्म प्रभाग कॉम्प्लेक्स, डॉ.देशमुख मार्ग, मुंबई - 400 026
PHASE-1, 9TH FLOOR, FILMS DIVISION COMPLEX, DR.G.DESHMUKH MARG, MUMBAI - 400 026

दिनांक 06.07.2023

सं-सी-13018/1/2020-प्रशा

कार्यालय आदेश

विषय:- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति

श्री गोविंद मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

पारदर्शिता अधिकारी का मुख्य कार्य, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के सक्रिय और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के भीतर संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा देना। इनमें प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन और वृद्धिशील सक्रिय खुलासे के साथ-साथ आरटीआई आवेदनों के निपटान में उच्च प्राथमिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है।

रविंद्र भाकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रति,

श्री. गोविंद मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
3. सभी प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
4. वेबसाइट में अपलोड के लिए